

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र

मु.न. 16 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास
बनाम

विधाधर पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी फुसखानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू ।
सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी फुसखानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू ।

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 19.06.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम फुसखानी के भूमि ख0न0 478 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.16 हैक्टर तथा खसरा न. 477 रकबा 25.92 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.15 है. पर विधाधर पुत्र नारायणराम व सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी फुसखानी ने मकान व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान उपस्थित नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 जोहड़/ चारागाह पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन जोहड़ है। जिसकी ताकीद माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 ख0न0 ख0न0 478 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.16 हैक्टर तथा खसरा न. 477 रकबा 25.92 है. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.15 है. पर मकान व बाड़ बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 310/-रुपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि जोहड़ भूमि पर से मकान व बाड़ को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)

तहसीलदार मंडावा
तहसीलदार

मण्डावा, झुंझुनू



पृष्ठ संख्या 27 पर राशि
310 रु वर्ष 24-25 में मांग कायम
होनी।

(M)
तहसील राजस्व लेखाकार